

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या- सं०का०-१/वि०मं०(सत्र)०१-०१/२०२६-९७८/ पटना, दिनांक-१७.०८.२०२६
बिहार राज्यपाल का दिनांक-१७.०८.२०२६ का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४(२) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ले ज सय्यद अता हसनैन, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक २४ जुलाई, २०२६ को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार विधान परिषद् का सत्रावसान करता हूँ।

पटना,
दिनांक-१७.०८.२०२६

ले ज सय्यद अता हसनैन,
राज्यपाल, बिहार।”

ह०/-

(राजेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

संख्या- सं०का०-१/वि०मं०(सत्र)०१-०१/२०२६-९७८/ पटना, दिनांक-१७.०८.२०२६

प्रतिलिपि : प्रभारी सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सरकार के सभी विभाग/महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/गृह मंत्रालय, (पॉल- १ ए शाखा), भारत सरकार, नई दिल्ली/ अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना (बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ) असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ/आईटीओ मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।


17/08/2026

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या- सं०का०-१/वि०मं०(सत्र)०१-०१/२०२६-९७९/ पटना, दिनांक-१७.०८.२०२६
अधिसूचना संख्या-९७८ दिनांक १७.०८.२०२६ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

:: NOTIFICATION ::

Patna, Dated-17.08.2026

No.- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2026-978/ The Following order of the Governor of
Bihar dated 17.08.2026 is hereby published for general information:-

“In exercise of the powers under Sub Clause (a) of Clause (2) of
Article 174 of the Constitution of India, I, Lt Gen Syed Ata Hasnain,
Governor of Bihar, hereby prorogue the Bihar Legislative Council after
completion of the business of the House on 24th July, 2026.

Patna,
Dated -17.08.2026

Lt Gen Syed Ata Hasnain,
Governor of Bihar.”

Sd/-

(Rajesh Kumar)

Additional Secy. to Govt.

Memo No.- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2026-979/ Patna, Dated-17.08.2026

Copy:- Forwarded for information to Secretary In-Charge, Bihar Legislative
Council, Patna/ Secretary In-charge, Bihar Legislative Assembly, Patna/ Additional
Chief Secretary to Hon'ble Governor of Bihar, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble
Chief Minister, Bihar, Patna/Private Secretary to Hon'ble Dy. Chief Minister,
Parliamentary Affairs Department/ All Department of Government/ Advocate General,
Bihar, Patna High Court/ Director, Information & Public Relations Department, Bihar,
Patna/Ministry of Home Affairs, Government of India (Political-1 (a) Sec.) New Delhi/
Superintendent, Secretariat Press, Gulazarbagh, Patna for publication in extra ordinary
gazette/I.T. Manager, Parliamentary Affairs Department, Patna for publication on
departmental Website.

17/08/2026 -
Additional Secy. to Govt.